वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 14.12.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर"अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 14.12.2025

इंस्टाग्राम पर मिली सूचना, 3 बीघा अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर

संवाद न्यूज एजेंसी

वाराणसी। वीडीए ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित संज्ञान लेते हुए अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की है। सारनाथ क्षेत्र के गोसाईंपुर, मोहाव में बिंदु राय नामक व्यक्ति द्वारा तीन बीघा भूमि पर बिना किसी स्वीकृत ले-आउट के अवैध रूप से प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी।

मौके पर की गई जांच में सामने आया कि करीब 17 फीट चौड़ी सड़क दिखाकर प्लॉट काटे जा रहे थे, जबकि नियमानुसार न्यूनतम 30 फीट चौड़ी सड़क छोड़ी जानी अनिवार्य है। जांच में यह प्लॉटिंग पूरी तरह अवैध पाई गई। निर्माणकर्ता ने न तो वाराणसी विकास प्राधिकरण से कोई मानचित्र स्वीकृत कराया था और न ही ले-आउट की अनुमति ली गई थी। इसके बावजूद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस अवैध कॉलोनी का प्रचार कर आमजन को प्लॉट खरीदने के लिए गुमराह किया जा रहा था। वीडीए ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाकर उसे ध्वस्त करा दिया।

दैनिक जागरण–दि0 14.12.2025

इंस्टाग्राम से सूचना मिलने पर ध्वस्त की अवैध प्लाटिंग

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण बिना ले-आउट के प्लाटिंग कर जनता को झांसा देने वालों के खिलाफ लगातार सक्रिय है।

इसका प्रमाण शनिवार को देखने को मिला। इंटरनेट मीडिया इंस्टाग्राम से मिली जानकारी पर वीडीए की ध्वस्तीकरण टीम सक्रिय हो गई। मौके पर पहुंच कर अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया।

वार्ड सारनाथ के अंतर्गत मौजा–गोसाईपुर, मोहांव में लगभग तीन बीघा क्षेत्र में अवैध रूप से प्लाटिंग किया गया था। मौके पर लगभग 17 फीट चौड़ी सड़क दर्शाते हुए बिना किसी स्वीकृत ले-आउट के प्लाट काटे जा रहे थे। यह नियमानुसार पूर्णतः अवैध है। स्वीकृति नहीं होने के साथ ही न्यूनतम 30 फिट रोड न छोड़कर मात्र 17 फीट की रोड बनाई गई थी। जो मानक से बहुत कम है। साथ ही अवैध प्लाटिंग क्षेत्र में प्लाट खरीदने के लिए इंस्टाग्राम के माध्यम से प्रचार कर आमजन को गुमराह भी किया जा रहा था।

निरीक्षण कर तथ्य जुटाया तथा विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। वीडीए यह स्पष्ट करता है कि बिना ले–आउट स्वीकृत कराए की जा रही कोई भी प्लाटिंग अवैध की श्रेणी में आती है। ऐसे मामलों में प्राधिकरण द्वारा किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाएगी। आम जनहित को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की जा रही है जिससे नागरिकों को अवैध कालोनियों में निवेश कर आर्थिक व कानूनी परेशानियों का सामना न करना पड़े।

उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने लोगों से कहा किया कि वे वीडीए से स्वीकृत ले–आउट वाले प्लाट ही खरीदें।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002
Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

हिन्दुस्तान–दि0 14.12.2025

इंस्टाग्राम पर सूचना पर त्वरित कार्रवाई

वाराणसी। वीडीए की ओर से सोशल मीडिया से प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित संज्ञान लेते हुए अवैध निर्माण एवं अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शनिवार को जोन-2 की प्रवर्तन टीम ने सारनाथ के गोसाईपुर, मोहांव में 3 बीघा में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई।